

न्यायालय सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)सिवाना

पीठासीन अधिकारी-प्रमोद सिरवी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-50/2018

वादी

कालाराम पुत्र धेवरराम

प्रतिवादी

कालाराम पुत्र धेवरराम जाति बघिया
निवासी पहाड़पुरा तहसील भीनमाल हाल
ग्राम मिठोड़ा तहसील सिवाना व जिला
बाड़मेर

- 1.बबरीदेवी पत्नि मोहनराम
- 2.ढलकीदेवी पत्नि निम्बाराम
- 3.बगसुदेवी पत्नि चौथाराम
- 4.जाजुदेवी पत्नि जोराराम जाति मेधवाल
निवासी मिठोड़ा तहसील सिवाना जिला
बाड़मेर
- 5.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक
तहसीलदार सिवाना व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक- 01.7.19

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है.कि
मौजा-मिठोड़ा पटवार क्षेत्र भीठोड़ा तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या 353 रकबा
5.2771 हैक्ट. भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 18.2.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार
कर तहसीलदार सिवाना को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड
उपण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार
सिवाना द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध
करवाया। जिसे वादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

6.कामश्नर का फास
7.आदेशिका की तामिल

6.कमिश्नर की फीस

जोड़

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मिठोड़ा पटवार क्षेत्र मीठोड़ा तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या 353 रकबा 5.2771 हैक्ट. भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	गांव का नाम	खसरा नं०	रकबा (हैक्ट.में)	किस्म भूमि	लगान (रु०)	बरंग
1	कालाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल सा.पहाड़पुरा खातेदार	मिठोड़ा	353	2.6385	घोरा	0.50	हरा
2	बबरीदेवी पत्नि मोहनराम 1/4 ढलकीदेवी पत्नि निम्बाराम 1/4 बगसूदेवी पत्नि चौथाराम 1/4 जाजूदेवी पत्नि जोराराम 1/4 सा.मिठोड़ा जाति मेघवाल खातेदार	मिठोड़ा	353	2.6386	घोरा	0.50	पीला

तहसीलदार,सिवाना को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



उपरोक्त निर्णय आज दिनांक ०१.०७.१९ को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिवाना

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिवाना
(S.D.O) सिवाना

